UPBJ010047862026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–(संजय कुमार–VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP1997

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–1662/2026

राहुल बनाम सरकार

मुकदमा अपराध संख्याः–38/2026

धारा–305(ए),317(2),331(4) बी0एन0एस0

थाना–मण्डावर, जनपद बिजनौर।

आवेदक की ओर से श्री विनीत चौधरी, एडवोकेट,

राज्य की ओर से श्री वरूण कुमार राजपूत, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांकः–04.06.2026

1– उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **राहुल** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किये किया गया है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।

2– उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी हिमांशु कुमार द्वारा थाने पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि "दिनाँक 23–08–2025 को रात्रि 11:20 बजे वादी की देशी शराब की दुकान में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दीवार तोड़कर चोरी की घटना की गयी है। इस घटना से वादी को आर्थिक हानि हुई है। वादी द्वारा कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना मण्डावर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध में पंजीकृत हुई।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा मजदूरी के कार्य से उठाकर वाद उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखायी गयी है। प्रार्थी नामजद एफ0आई0आर0 नहीं है। अभियुक्त की कोई शनाख्त वादी अथवा किसी गवाहान से नहीं करायी गयी है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी से जो बरामदगी दिखायी गयी है वह फर्जी है। प्रार्थी सजायाफता नहीं है। अभियुक्त दिनांक 03–12–2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार अभियुक्त द्वारा रात्रि में वादी की देशी शराब की दुकान की दीवार तोड़कर कुंमल लगाकर चोरी की गयी है तथा अभियुक्त के कब्जे से 1200/–रू0 की बरामदगी भी है। उक्त आधार पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादी की दुकान में रात्रि में दीवार तोड़कर चोरी करने व वर्तमान अभियुक्त के कब्जे से 1200/रु0 बरामद होने संबंधी आरोप आरोपित किये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत है। अभियुक्त प्रथम

सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। जहां तक बरामदगी का प्रश्न है तो वह सत्य है या असत्य है, यह साक्ष्य का विषय है। कथित बरामदगी में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नामित नहीं है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त का कोई सजायाबी आपराधिक इतिहास होना भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03–12–2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

7– अतः अभियुक्त की जेल में निरूद्धता की अवधि, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मामले के गुण दोष पर कोई टीका टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **राहुल** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन **50,000/–(पचास हजार)** रुपये का निजी बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार–VII)
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
04.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.04 16:27:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court